न्यायालय सेशन न्यायाधीश, धौलपुर (राज०)

पीठासीन अधिकारी :-- संजीव मागो, आर०जे०एस० (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध फौजदारी प्रकरण संख्या :- 261/2026

एफ० आई० आर० संख्या :-04/2026, थाना साइबर क्राइम, धौलपुर

अपराध अंतर्गत धारा :-318(4), 319(2) बी०एन०एस० व 66डी आईटी एक्ट

रामलखन त्यागी पुत्र लोकेन्द्र कुमार त्यागी, उम्र 23 साल, निवासी कुरैंधा थाना कौलारी, जिला धौलपुर (राज.)

-प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, धौलपुर

-अप्रार्थी/अभियोगी

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा :- 483 बी०एन०एस०एस०

उपस्थिति :-

1- श्री अमरकांत त्यागी, अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से ।

2- श्री शैलेन्द्र सिंह मथुरिया, लोक अभियोजक राज्य की ओर से ।

आदेश दिनांक : 09.03.2026

1) प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जरिये अधिवक्ता इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । नकल जमानत आवेदन विद्वान लोक अभियोजक को दिलाई गई ।

2) प्रकरण के तथ्यानुसार इस मामले में परिवादी मुरारीलाल एचसी थाना साईबर क्राईम धौलपुर द्वारा दिनांक 25.02.2026 को एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई गई कि मुरारीलाल एचसी द्वारा पीएचक्यू जयपुर से प्राप्त दिशा निर्देशों की पालना में तथा पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा साईबर अपराधों की रोकथाम हेतु संदिग्ध बैंक खातों (Mule Account) के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु विशेष साइबर अभियान चलाया जाकर जिले में स्थित बैंकों में संदिग्ध बैंक खातों की राष्ट्रीय साईबर क्राईम पोर्टल पर प्राप्त म्यूल एकाउंट की सूची का अवलोकन किया गया तो उक्त सूची में संदिग्ध पंजाब नेशनल बैंक का खाता संख्या 1942001700521309 पर दो शिकायतें बाहर के राज्यों में रजिस्टर्ड पाई गई, जिस पर संबंधित बैंक से म्यूल एकाउंट की केवाईसी प्राप्त कर उनका अवलोकन किया तो खाता धारक का नाम रामलखन त्यागी पुत्र लोकेन्द्र कुमार त्यागी, निवासी कुरैंदा थाना कौलारी जिला धौलपुर का होना पाया गया, जिसमें से राष्ट्रीय साईबर पोर्टल की शिकायत संख्या 1- Ack no. 23101260013306 दर्ज है, जिसमें उक्त खाते में कुल दो ट्रांजेक्शनों में कुल

राशि 20,000/- रुपये साईबर फ्रॉड की प्राप्त हुई है, जिसका शिकायतकर्त्ता दानिस पुत्र इकार अली निवासी वीरमपुर जिला हापुड राज्य (उ.प्र.) मो.न. 8755407886 है, जिसमें शिकायतकर्त्ता द्वारा निम्न शिकायत दर्ज कराई है MY ACCOUNT NUMBER 8782200100139 CANARA BANK BRANCH HARODA SIMBHAWALI DIST HAPUR PLEASE HOLD MY AMOUNT MY ACCOUNT NUMBER 8782200100139 CANARA BANK BRANCH HARODA SIMBHAWALI DIST HAPUR PLEASE HOLD MY AMOUNT शिकायत सं. 2 Ack no. 23111250192920 दर्ज है, जिसमें उक्त खाते में राशि 4000/- रूपये साईबर फ्रॉड की राशि प्राप्त हुई है, जिसका शिकायतकर्त्ता सुरेश यादव पुत्र रामअवतार यादव निवासी पोपरसाथखिल्ला जिला मऊ (उ.प्र.) है, जिसका मो. नं. 7800086550 है, जिसमें शिकायतकर्त्ता से फेसबुक मैसेंजर के द्वारा 10,000/- रुपये फ्रॉड से ट्रांसफर कराए जाना बताया गया। इस प्रकार म्यूल अकाउंट नंबर 1942001700521309 के खाताधारक रामलखन त्यागी के द्वारा आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए धोखाधडी पूर्वक अनजान लोगों के साथ साईबर ठगी कर करीब 24,000/- रुपये स्वयं के खाते में प्राप्त किए है....इत्यादि । उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना साईबर क्राइम धौलपुर पर प्राथमिकी संख्या 04/2026 दर्ज कर अनुसंधान जारी है व अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 318(4), 319(2) बी०एन०एस० तथा 66डी आईटी एक्ट के आरोप बनना पाए गए हैं । प्रकरण में प्रार्थी/ अभियुक्त दिनांक 26.02.2026 से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है, अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होना केस डायरी के अवलोकन से प्रकट नहीं हुआ है ।

3) प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि एफ आई आर में अंकित समस्त तथ्य मनगढंत व झूठे अंकित किए गए गए है । प्रार्थी ने कोई धोखाधडी नहीं की है । प्रार्थी/अभियुक्त को झूंठा फंसाया गया है, उसने कोई जुर्म नहीं किया है, उसको जबरन अपराध में संलिप्त किया गया है । उसका अपराध आजीवन कारावास अथवा मृत्यु दंड की सजा से दंडनीय नहीं है । उसके कहीं फरार होने अथवा भागने की संभावना नहीं है । प्रकरण के अनुसंधान अथवा अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना है । अतः उसे जमानत का लाभ प्रदान किया जावे ।

4) विद्वान लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध साईबर क्राइम करने का आरोप प्रमाणित पाया गया है । अतः उसकी ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

5) उभयपक्ष की ओर से दिये गये तर्कों पर मनन किया गया एवं अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

6) प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के बैंक खाते में 24,000/- रुपये की राशि आना केस डायरी के अवलोकन से प्रकट हो रहा है, जो राशि साईबर फ्रॉड के तहत प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने खाते में लिया जाना पाया गया है । वर्तमान में साईबर फ्रॉड के अपराध दिनों-दिन बढते जा रहे हैं, जिससे मेहनतकश व्यक्तियों में अपनी बैंक में जमा राशि की सुरक्षा के प्रति भय का माहौल व्याप्त रहता है, इस प्रकार के प्रकरण

में जमानत का लाभ दिए जाने से ऐसे प्रकरणों में बढोतरी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता । अतः इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई मत व्यक्त किए बिना प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों व अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार करना न्यायोचित नहीं पाया जाता है ।

7) अतः प्रार्थी/अभियुक्त रामलखन त्यागी पुत्र लोकेन्द्र कुमार त्यागी, उम्र 23 साल, निवासी कुरैंधा थाना कौलारी, जिला धौलपुर (राज.) की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 04/2026 थाना साइबर क्राइम धौलपुर से संबंधित प्रकरण में प्रस्तुत जमानत आवेदन अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।

(संजीव मागो)
सेशन न्यायाधीश,
धौलपुर-राज॰

8) यह आदेश आज दिनांक 09/03/2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया ।

(संजीव मागो)
सेशन न्यायाधीश,
धौलपुर-राज॰

PAYAL MANGAR

Stenographer-III
"Authenticated Document"
PAYAL MANGAR
2026.03.09 16:27:13 +0530